प्रारंभिक परीक्षा

केर्च जलडमरूमध्य(Kerch Strait)

संदर्भ

हाल ही में, हजारों टन तेल उत्पाद ले जा रहा एक रूसी तेल टैंकर भारी तूफान के दौरान टूट गया, जिससे केर्च जलडमरूमध्य में तेल रिसाव हो गया।

केर्च जलडमरूमध्य के बारे में -

- **यह पूर्वी यूरोप में स्थित है और एकमात्र जल निकाय है जो काला सागर को आज़ोव सागर से जोड़ता है।**
- **यह केर्च प्रायद्वीप (क्रीमिया) को तमन प्रायद्वीप (रूस) से अलग करता है।**
- यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक शिपिंग मार्ग है और 2014 में मॉस्को द्वारा क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्ज़ा करने के बाद रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष का एक प्रमुख बिंदु भी है।
- **केर्च जलडमरूमध्य पुल:**
    - **इसे क्रीमियन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह मुख्य भूमि रूस को क्रीमिया से जोड़ता है।**
    - इसका **निर्माण 2018 में पूरा** हुआ, इसमें सड़क और रेल कनेक्शन शामिल है और **यह यूरोप का सबसे लंबा पुल (19 किमी**.) है।

तथ्य

- जलडमरूमध्य दो भूमि टुकड़ों के बीच एक संकीर्ण जलमार्ग है जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है।
- **आज़ोव सागर:** यह पूर्वी यूरोप में एक अंतर्देशीय सागर है। यह रूस और यूक्रेन से घिरा हुआ है।
- **काला सागर से सटे देश:** तुर्की, बुल्गारिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया और रोमानिया।
  (याद रखने की ट्रिक - टी-बर्गर)

स्रोत:

- द हिंदू - तूफान में रूसी टैंकर टूटा, केर्च जलडमरूमध्य में तेल फैला

ओलिव रिडले समुद्री कछुए

संदर्भ

विशाखापत्तनम तट पर ओलिव रिडले कछुओं के शव बहकर आ रहे हैं। प्रजनन के मौसम के दौरान समुद्री प्रदूषण और मछली पकड़ने की गतिविधियाँ इसके प्रमुख कारण हैं।

ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के बारे में -

- ये दुनिया में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में से दूसरे सबसे छोटे और सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कछुए हैं।
    - **विश्व का सबसे छोटा समुद्री कछुआ:** केम्प्स रिडले समुद्री कछुआ।
    - **सबसे बड़ा समुद्री कछुआ**: लैदरबैक कछुआ
- **इसका नाम इसके कवच (आवरण) के जैतूनी हरे(olive green) रंग के कारण रखा गया है।**
- **विशेषताएँ**:
    - ये अद्वितीय **अरिबाडा** (सिंक्रनाइज़्ड सामूहिक घोंसले) के लिए जाने जाते हैं, जहां हजारों मादाएं अंडे देने के लिए एक ही समुद्र तट पर एक साथ आती हैं।
    - मादाएं हर साल घोंसला बनाती(nesting) हैं और 100 अंडे तक पैदा करती हैं।
    - नर और मादा एक ही आकार के होते हैं, लेकिन मादाओं का कवच थोड़ा अधिक गोल होता है।
    - ये **सर्वाहारी** हैं, अर्थात् वे पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं।
- **वितरण**: मुख्य रूप से प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के उष्ण जल में पाए जाते हैं।
- **भारत में प्रमुख स्थान:**
    - **गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य**: ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित यह ओलिव रिडले कछुओं के लिए **विश्व की सबसे बड़ी नेस्टिंग साइट** है।
    - **रुशिकुल्या बीच:** ओडिशा के गंजम जिले में स्थित रुशिकुल्या नदी का मुहाना भारत में ऑलिव रिडले कछुओं के लिए दूसरी सबसे बड़ी नेस्टिंग है।

  - वेलास बीच, वर्सोवा बीच और तारकली बीच (महाराष्ट्र)।
- **संरक्षण स्थिति**:
  - **आईयूसीएन रेड लिस्ट:** लुप्तप्राय
  - **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची 1
  - **CITES:** परिशिष्ट I।

स्रोत:

- **द हिंदू - विजाग में ओलिव रिडले कछुओं के शवों का तट पर आना जारी है**

जलवाहक योजना

संदर्भ

केंद्र सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही को प्रोत्साहित करने के लिए जलवाहक योजना शुरू की है।

जलवाहक योजना के बारे में -

- **उद्देश्य**: माल परिवहन को प्रोत्साहित करना, सड़क और रेलवे पर भीड़भाड़ कम करना, तथा किफायती, पर्यावरण अनुकूल और कुशल परिवहन के रूप में जलमार्गों के उपयोग को बढ़ावा देना।
- **लॉन्च किया गया** – बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा।
- **कार्यान्वयन एजेंसी**: इसे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) और भारतीय शिपिंग निगम की सहायक कंपनी अंतर्देशीय एवं तटीय शिपिंग लिमिटेड (ICSL) द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाएगा।
- **प्रोत्साहन**: यह राष्ट्रीय जलमार्ग (NW) 1, 2 और 16 पर कार्गो परिवहन के लिए कुल परिचालन लागत का 35% तक प्रतिपूर्ति प्रदान करेगा।
    - **NW 1:** कोलकाता से पटना होते हुए वाराणसी तक (गंगा)
    - **NW 2:** कोलकाता से गुवाहाटी के पांडु तक (ब्रह्मपुत्र)
    - **NW 16:** भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होते हुए (IBPR) (बराक)
- **प्रोत्साहन के लिए मानदंड:** यह 300 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से माल परिवहन के लिए प्रत्यक्ष प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
- यह योजना **3 वर्षों** तक वैध रहेगी।
- **लक्ष्य**: 2030 तक 200 मिलियन मीट्रिक टन और 2047 तक 500 मीट्रिक टन कार्गो आवाजाही।

स्रोत:

- द हिंदू - केंद्र ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही के लिए जलवाहक योजना शुरू की

सांता एना विंड्स(Santa Ana Winds)

संदर्भ

हाल ही में कैलिफोर्निया के मालिबू में लगी फ्रैंकलिन आग ने करीब 22,000 लोगों को प्रभावित किया है। विशेषज्ञों के अनुसार सांता एना की हवाएं(Santa Ana' winds) और जलवायु परिवर्तन इन जंगली आग को और भड़का रहे हैं।

सांता एना विंड्स के बारे में -

- **ये दक्षिणी कैलिफोर्निया क्षेत्र में चलने वाली शुष्क और गर्म (अक्सर गर्म) हवाएं हैं जो रेगिस्तान से आती हैं - जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रेट बेसिन भी शामिल है।**
- इसका नाम **दक्षिणी कैलिफोर्निया के सांता एना घाटी के नाम पर रखा गया है।**
- **उत्पत्ति:** ये हवाएँ तब चलती हैं जब रॉकी पर्वत और सिएरा नेवादा (पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पर्वत श्रृंखला) के बीच ग्रेट बेसिन क्षेत्र पर उच्च दबाव बनता है और कैलिफोर्निया के तट पर दबाव कम होता है।
- दबाव के अंतर के कारण शक्तिशाली हवाएं बेसिन के अंतर्देशीय रेगिस्तानों से, जो दक्षिणी कैलिफोर्निया के पूर्व और उत्तर में स्थित हैं, पहाड़ों के ऊपर से प्रशांत महासागर की ओर चलने लगती हैं।
- जैसे ही ये हवाएं पहाड़ों से नीचे आती हैं, वे संकुचित होकर गर्म हो जाती हैं, जिससे उनकी आर्द्रता कम हो जाती है - कभी-कभी 20% से भी कम या 10% से भी कम हो जाती है।
- यह अत्यंत कम नमी वनस्पति को सुखा देती है, जिससे यह अत्यधिक ज्वलनशील हो जाती है।
- **सांता एना विंड्स आमतौर पर अक्टूबर से जनवरी तक चलती हैं।**
- **सांता एना विंड्स एक प्राकृतिक घटना है लेकिन जलवायु परिवर्तन ने जंगल की आग के मौसम को लंबा कर दिया है और कैलिफोर्निया में जंगल की आग की तीव्रता और आवृत्ति में भी वृद्धि हुई है।**

स्रोत:

- इंडियन एक्सप्रेस- सांता एना विंड्स

कार्बन बाज़ार कैसे काम करेगा?

संदर्भ

हाल ही में बाकू में आयोजित UNFCCC के सम्मेलन (COP-29) में अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार की स्थापना के लिए मानकों को मंजूरी दी गई।

कार्बन बाज़ार क्या है?

- **कार्बन बाज़ार संस्थाओं को वायुमंडल में कार्बन उत्सर्जित करने का अधिकार खरीदने और बेचने की अनुमति देता है।**
- **उत्पत्ति:** कार्बन क्रेडिट का पहली बार प्रयोग 1990 के दशक में अमेरिका में किया गया था, जहां सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए कैप-एंड-ट्रेड मॉडल की शुरुआत की गई थी।
- **तंत्र:**
    - **कार्बन क्रेडिट:** कार्बन की एक निश्चित मात्रा (1 क्रेडिट = 1,000 किग्रा CO_2) के उत्सर्जन की अनुमति देने वाले प्रमाणपत्र।
    - जारी किए जाने वाले कार्बन क्रेडिट की संख्या को सीमित करके, सरकारें यह नियंत्रित कर सकती हैं कि पर्यावरण में कितना कार्बन उत्सर्जित किया जाए।
    - कार्बन क्रेडिट के बिना संस्थाओं को कार्बन उत्सर्जन की अनुमति नहीं है।
- **व्यापार:**
    - **अधिशेष क्रेडिट(Surplus credits)** को उन संस्थाओं द्वारा बेचा जा सकता है, जिन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, आपूर्ति और मांग के आधार पर बाजार-निर्धारित कीमतों पर।
    - **कार्बन ऑफसेट(Carbon offsets):** प्रदूषकों द्वारा ऐसी संस्थाओं (जैसे, गैर सरकारी संगठनों) से खरीदा जाता है जो वृक्षारोपण जैसी गतिविधियों के माध्यम से उत्सर्जन को ऑफसेट करने का वादा करते हैं।

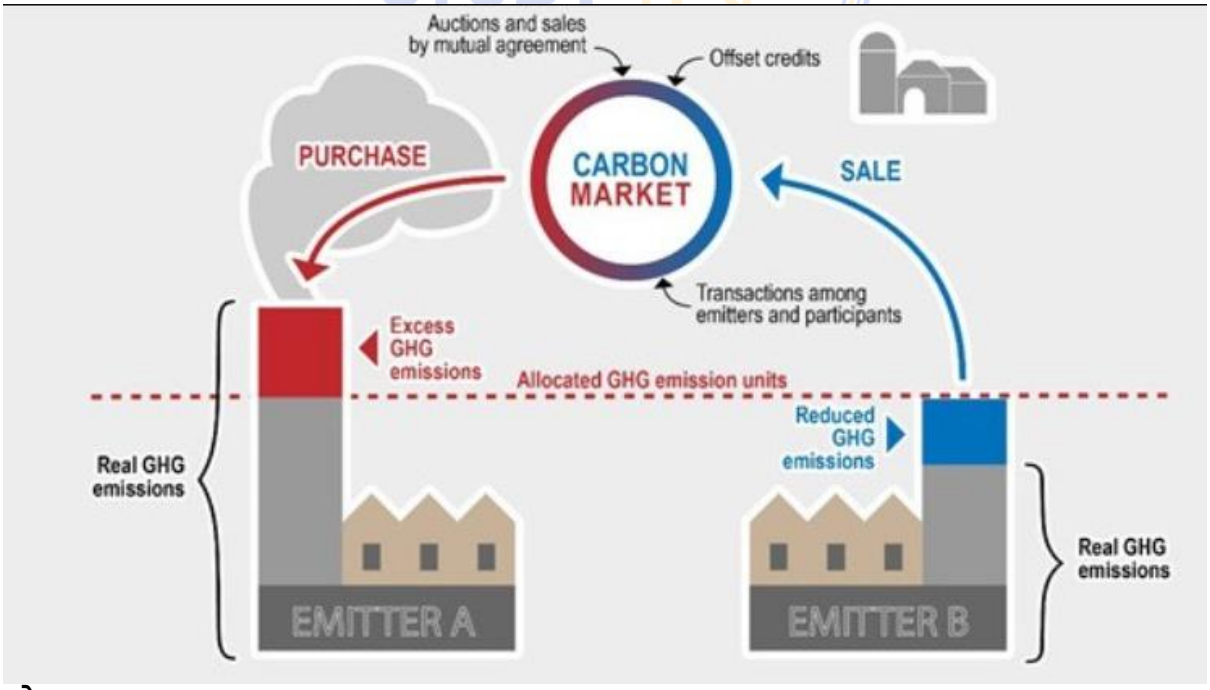

स्रोत:

- [द हिन्दू - कार्बन बाज़ार कैसे काम करेगा?]

मिरर लाइफ: एक घातक ज्यामिति

संदर्भ

हाल ही में वैज्ञानिकों के एक अंतरराष्ट्रीय समूह ने मिरर लाइफ बनाने के प्रयासों के खिलाफ चेतावनी देते हुए जर्नल साइंस में 300 पेज की तकनीकी रिपोर्ट और एक टिप्पणी प्रकाशित की।

चिरैलिटी(Chirality) क्या है?

- **चिरैलिटी से तात्पर्य वस्तुओं या अणुओं के उस गुण से है जिसमें वे एक निश्चित दिशा में घूमते हैं (बाएं या दाएं), जहां उन्हें उनकी दर्पण छवि पर आरोपित नहीं किया जा सकता।**
- **उदाहरणार्थ,** वास्तविक दुनिया में बोतल का ढक्कन वामावर्त दिशा में खोला जाता है, लेकिन दर्पण में यह दक्षिणावर्त दिशा में दिखाई देता है।
- **मिरर लाइफ(Mirror life):** मिरर लाइफ से तात्पर्य ऐसे जीवों से है जिनके निर्माण खंड उनके प्राकृतिक समकक्षों के **एनेंटिओमर**(**enantiomers**) होते हैं।
- **आणविक चिरैलिटी**: **एनेंटिओमर**
    - **अणु जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिम्ब होते हैं, एनेंटिओमर कहलाते हैं।**
    - एक ही रासायनिक संरचना होने के बावजूद प्रत्येक एनेंटिओमर के अलग-अलग गुण और जैविक प्रभाव होते हैं।

एनेंटिओमर्स के उदाहरण

- **थैलिडोमाइड**:
    - यह एक शामक दवा है जो 1950 के दशक के अंत में बेची गयी थी।
    - **दाएं हाथ का एनेंटिओमर**: शामक के रूप में काम करता है।
    - **बाएं हाथ का एनेंटिओमर**: गंभीर जन्म दोष का कारण बनता है, जिसके कारण दवा को वापस लेना पड़ता है।
- **मानव शरीर में**:
    - **प्रोटीन: बायें हाथ के अमीनो एसिड का** उपयोग करके निर्मित।
    - **डीएनए:** डबल-हेलिक्स **दाईं ओर मुड़ता है**।
    - जीवों में विशिष्ट हस्त-प्रेरणा के प्रति इस वरीयता के पीछे के कारण अभी भी रहस्य बने हुए हैं।

स्रोत:

- द हिन्दू - मिरर लाइफ: एक घातक ज्यामिति

समाचार संक्षेप में

डेजर्ट नाइट अभ्यास

- **यह भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक त्रिपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास है।**
- **यह अभ्यास भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों द्वारा 2022 में स्थापित त्रिपक्षीय ढांचे का एक हिस्सा है।** इसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और पर्यावरण में सहयोग शामिल है।
- पिछले साल, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेनाओं ने भी अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया था।
- **भारत और फ्रांस के बीच अन्य रक्षा अभ्यास**: शक्ति (सेना), वरुण (नौसेना) और गरुड़ (वायु सेना)।

स्रोत:

- इकोनॉमिक टाइम्स- भारत, फ्रांस, यूएई ने डेजर्ट नाइट वायु युद्ध अभ्यास के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत किया

एर्ग चेब्बी ड्यून्स(Erg Chebbi Dunes)

- **ये दक्षिणपूर्वी मोरक्को में एक बड़ा रेतीला समुद्र है, जो अपने ऊंचे टीलों और यात्रियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य के लिए जाना जाता है।**
- टीले उत्तर से दक्षिण तक लगभग 28 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 5-7 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और ऊंचाई में लगभग 150 मीटर हैं।

स्रोत:

- द हिन्दू - एर्ग चेब्बी ड्यून्स पर चलता ऊँटों का कारवां

पोट्टी श्रीरामुलु

- **आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वह पोट्टी श्रीरामुलु की 125वीं जयंती (16 मार्च 2025) भव्य तरीके से मनाएगी।**
- उनका जन्म 1901 में मद्रास प्रेसीडेंसी (वर्तमान नेल्लोर, आंध्र प्रदेश) में हुआ था।
- **उन्होंने असहयोग आंदोलन (1920-1922), नमक सत्याग्रह (1930) और व्यक्तिगत सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया।**
- **स्वतंत्रता के बाद वह एक अलग तेलुगु भाषी भाषाई राज्य के लिए संघर्ष में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए।**
- उन्होंने मद्रास प्रेसीडेंसी से अलग आंध्र प्रदेश के निर्माण की मांग को लेकर 1952 में भूख हड़ताल शुरू की।
- **उन्होंने 19 अक्टूबर 1952 को मद्रास में आमरण अनशन ('अमरजीवी') किया था।**
- उनकी मृत्यु के बाद केंद्र सरकार द्वारा अलग आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा की गई।
- उनकी मृत्यु के कारण आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर दंगे और हिंसा हुई।

स्रोत:

- द हिन्दू - पोट्टी श्रीरामुलु

संपादकीय सारांश

खनिज कूटनीति पर भारत के मजबूत प्रयास

संदर्भ

- भारत एक प्रमुख महत्वपूर्ण खनिज आयातक है, जो अभी भी अपनी खनिज सुरक्षा के लिए अन्य देशों, मुख्य रूप से चीन पर निर्भर है, जो कि रणनीतिक चिंता का कारण बन गया है।
- प्रतिक्रिया में, भारत ने अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए, खनिज कूटनीति में शामिल होने के प्रयास प्रारंभ किए हैं।

भारत की महत्वपूर्ण खनिज निर्भरता: चुनौतियाँ

- **अत्यधिक निर्भरता:** भारत लिथियम, कोबाल्ट और निकल के आयात पर **100%** निर्भर है। यह अत्यधिक निर्भरता, विशेष रूप से इन संसाधनों के आसपास के भू-राजनीतिक तनावों को देखते हुए, जोखिम उत्पन्न करती है।
    - **चीन का लगभग एकाधिकार:** भारत का लगभग **70%** लिथियम आयात चीन से होता है, जो लगभग एकाधिकार को दर्शाता करता है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं में वृद्धि करता है।
- **मांग में वृद्धि:** भारत के महत्वपूर्ण खनिज आयात का मूल्य वित्त वर्ष **2015** में **475** मिलियन डॉलर से बढ़कर, वित्त वर्ष **24** में लगभग **4.93** बिलियन डॉलर हो गया है।
- **घरेलू उत्पादन में कमी:** कुछ महत्वपूर्ण खनिजों (जैसे- कोबाल्ट और तांबा) के भंडार होने के बावजूद, भारत ने अभी तक मजबूत घरेलू उत्पादन क्षमता विकसित नहीं की है।

खनिज कूटनीति के प्रति भारत की धारणा

- **सहभागिता स्तंभ:** भारत की खनिज कूटनीति दो प्रमुख स्तंभों पर निर्भर करती है:
    - **द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहभागिता:** संसाधन संपन्न देशों (जैसे- ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चिली, कजाकिस्तान) के साथ संबंधों को सुदृढ़ करना तथा चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (**Quad**), इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (**IPEF**) एवं खनिज सुरक्षा साझेदारी (**MSP**) जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भाग लेना।
    - **रणनीतिक साझेदारी:** समझौतों और निवेशों के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए, खानिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) जैसे संयुक्त उद्यम की स्थापना करना।
    - **सरकारी पहल:**
        - **KABIL के अनुबंध:** खनिज सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, लैटिन अमेरिकी देशों (उदाहरण के लिए-अर्जेंटीना के साथ **$24** मिलियन का लिथियम समझौता) और कजाकिस्तान (**IREUK** टाइटेनियम लिमिटेड) के साथ साझेदारी।
        - **नीतिगत सहयोग:** नीतियों को सुव्यवस्थित करने और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (**IEA**) जैसे संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन।

निर्भरता कम करने हेतु भारत की पहल

- सरकार ने क्रिटिकल मिनरल्स मिशन प्रारंभ किया है।
- विभिन्न महत्वपूर्ण खनिजों पर आयात शुल्क कम किया गया।
- खनन ब्लॉकों की नीलामी करके, अन्वेषण अभियान को आगे बढ़ाने के उपायों को लागू किया गया।
- डीप ओशन मिशन का विस्तार किया गया।

भारत की खनिज कूटनीति में चुनौतियाँ

- **निजी क्षेत्र की भागीदारी का अभाव:** भारत की महत्वपूर्ण खनिज पहलों में, निजी उद्यम काफी हद तक अनुपस्थित हैं।
  - निजी क्षेत्र को खनिज आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत करने के लिए, कोई स्पष्ट रोडमैप या रणनीति नहीं है।
- **कमज़ोर कूटनीतिक क्षमता:** भारत के पास अपने राजनयिक तंत्र के भीतर खनिज कूटनीति के लिए, एक समर्पित संरचना का अभाव है।
  - प्रमुख मिशनों में खनिज कूटनीति के लिए विशेष भूमिकाओं की अनुपस्थिति, प्रभावी सहभागिता में बाधा उत्पन्न करती है।
- **अपर्याप्त स्थायी भागीदारी:** भारत के सहयोग अभी भी दीर्घकालिक**,** स्थायी भागीदारी में परिपक्व नहीं हुए हैं।
- **स्पष्ट आपूर्ति श्रृंखला रणनीति का अभाव:** एक व्यापक महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला रणनीति का अभाव है।

आगे की राह

- एक स्पष्ट व दीर्घकालिक रणनीति तैयार करना, जिसमें महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, अधिग्रहण, प्रसंस्करण एवं उपयोग शामिल हो।
- आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाने के लिए यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया और **Quad** सदस्यों जैसे विश्वसनीय भागीदारों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करना महत्वपूर्ण है।
- भारत को खनिज अधिग्रहण के जोखिम को कम करने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विकास की संभावनाओं पर विचार करते हुए नीतियाँ बनाने की आवश्यकता है।
- यह सुनिश्चित करना कि, भारत की खनिज अधिग्रहण रणनीति पर्यावरण एवं नैतिक मानकों को प्राथमिकता देती हो।

स्रोत:

- द हिंदू: खनिज कूटनीति में भारत के मजबूत प्रयास
- डेक्कन हेराल्ड: महत्वपूर्ण खनिज: चीन से आयात पर निर्भरता भारत के लिए सुरक्षा चुनौती

असमानता की डिजिटल सीमा

संदर्भ

टेक-फसिलिटेटेड जेंडर-बेस्ड वायलेंस (**TFGBV**) में वृद्धि के जवाब में, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में 'अब कोई बहाना नहीं ' नामक एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है, जो संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा संचालित वैश्विक 'जेंडर-बेस्ड वायलेंस या लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ सक्रियता के 16 दिन' के साथ संरेखित है।

भारत का डिजिटल परिदृश्य -

- **मोबाइल कनेक्शन**: 1.18 बिलियन
- **इंटरनेट उपयोगकर्ता**: 700 मिलियन
- **स्मार्टफोन**: 600 मिलियन
- **लैंगिक समावेशन: प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)** के अंतर्गत 55.6% खाते महिलाओं के पास हैं।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच**: शहरी क्षेत्रों की तुलना में 20% अधिक (2021 नीलसन रिपोर्ट)।
    - भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे ने **जन धन-आधार-मोबाइल (JAM)** संपर्कों के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ और नकदी रहित लेनदेन को सक्षम करके, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं।

महिलाओं के लिए डिजिटल परिवर्तन के जोखिम

प्रगति के बावजूद, बढ़ती डिजिटल कनेक्टिविटी ने महिलाओं को विभिन्न जोखिमों के प्रति उजागर किया है:

- **TFGBV के रूप**:
    - साइबरस्टॉकिंग
    - ऑनलाइन ट्रॉलिंग
    - अंतरंग छवियों का बिना सहमति के साझा करना
    - प्रतिरूपण और धोखाधड़ी (नकली प्रोफाइल)
    - ताक-झांक(Voyeurism)
    - ग्रूमिंग (कमजोर व्यक्तियों का शोषण)
- **महिलाओं पर प्रभाव**:
    - पत्रकारों और राजनेताओं जैसी सार्वजनिक भूमिकाओं में महिलाओं को बड़े पैमाने पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।
    - सामाजिक मानदंड महिलाओं की डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन स्थानों पर नेविगेट करने में आत्मविश्वास को बाधित करते हैं।
    - कई महिलाएं अपने अधिकारों और रिपोर्टिंग तंत्र से अनजान हैं, जिसके कारण वे डिजिटल क्षेत्र से पीछे हट रही हैं।

सरकारी पहल और कानूनी ढांचा

भारत ने TFGBV से निपटने के लिए विभिन्न उपाय लागू किए हैं:

- **कानूनी सुरक्षा**:
    - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
    - भारतीय न्याय संहिता, 2024
- **रिपोर्टिंग तंत्र**:
    - राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल गुमनाम रिपोर्टिंग की अनुमति देता है।
- **जागरूकता और शिक्षा**:

  - **सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम**: डिजिटल सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देता है।
  - **डिजिटल शक्ति**: राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिलाओं को ऑनलाइन सुरक्षित रूप से नेविगेट करने में मदद करने के लिए शुरू किया गया।
- **अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव**:
  - **महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 67वें सत्र में भागीदारी**: भारत ने महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा उपायों का समर्थन किया।

आगे की राह

महिलाओं के लिए वास्तव में सुरक्षित डिजिटल स्थान बनाने के लिए भारत को रणनीतिक और केंद्रित प्रयासों की आवश्यकता है:

- **कानूनी और नीतिगत ढांचे**: भविष्य के संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन (2024) में अपनाए गए वैश्विक डिजिटल कॉम्पैक्ट के साथ प्रयासों को संरेखित करना।
  - सख्त कानून, त्वरित न्याय और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को जवाबदेह बनाकर TFGBV का मुकाबला करने को प्राथमिकता देना।
- **डिजिटल साक्षरता का विस्तार**: ग्रामीण क्षेत्रों को लक्ष्य बनाना तथा स्कूल पाठ्यक्रमों में सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं को एकीकृत करना।
  - डिजिटल जागरूकता पैदा करने के लिए सभी जनसांख्यिकी वर्गों के लिए सामुदायिक कार्यशालाएं आयोजित करना।
- **सामाजिक मानदंडों में बदलाव**: सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू करना।
  - समावेशी डिजिटल स्थानों को बढ़ावा देने में पुरुषों और लड़कों को सहयोगी के रूप में सक्रिय रूप से शामिल करना।
- **तकनीकी उद्योग के साथ सहयोग**:
  - प्लेटफार्मों पर सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाना।
  - मानवीय निगरानी सुनिश्चित करते हुए अपमानजनक सामग्री का पता लगाने और उसे हटाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करना।
  - उपयोगकर्ता-अनुकूल रिपोर्टिंग तंत्र में सुधार करना।
- **उत्तरजीवी सहायता प्रणालियाँ**: परामर्श सेवाओं, कानूनी सहायता और पुनर्वास सहायता को मजबूत बनाना।
  - **टेकसखी** जैसी पहल का विस्तार करना, एक हेल्पलाइन जो निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करती है:
    - सटीक जानकारी
    - सहानुभूतिपूर्ण समर्थन
    - उत्तरजीवी लोगों के लिए सहायता

स्रोत: द हिंदू: असमानता की डिजिटल सीमा

मणिपुर में अशांति का समाधान

संदर्भ

- मणिपुर का मौजूदा संकट जातीय संघर्ष, आदिवासी विद्रोह, मादक पदार्थों की तस्करी और म्यांमार से घुसपैठ का एक जटिल मिश्रण है।
- उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने में भारत के ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद, प्रभावी राजनीतिक और रणनीतिक उपायों की कमी के कारण मणिपुर में स्थिति खराब हो गई है।

महत्वपूर्ण मुद्दे

- **कानून और व्यवस्था बनाम राजनीतिक समाधान:** स्थिति को मुख्य रूप से कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में देखा जाता है, जिसमें सार्थक राजनीतिक पहल और विश्वास-निर्माण उपायों का अभाव है।
    - एक "उपचारात्मक स्पर्श" गायब है, जो संकट को बदतर बनाने में योगदान दे रहा है।
- **चूके हुए अवसर:** हिंसा के दौरान, सरकार वार्ता शुरू कर सकती थी और मतभेदों को सुलझाने के लिए शांति समितियां गठित कर सकती थी।
- **WHAM रणनीति को लागू करने में विफलता**: आदिवासी संघर्षों में आवश्यक **WHAM (**विनिंग हार्ट्स एंड माइंडस) दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है।

प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय

- **प्रधानमंत्री का दौरा:** प्रधानमंत्री का दौरा गंभीरता का संकेत दे सकता है तथा तनाव कम करने में सहायक हो सकता है।
- **राष्ट्रपति शासन और नया नेतृत्व:** राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने और आतंकवाद विरोधी अभियानों में अनुभव रखने वाले राज्यपाल की नियुक्ति की सिफारिश करना।
- **प्रशासनिक सुधार:** निर्णायक कार्रवाई करने में हिचकिचाहट वाले अधिकारियों के स्थान पर अधिक सक्रिय कार्मिकों को नियुक्त किया जाएगा।
- **मणिपुर की अखंडता:** राज्य की क्षेत्रीय अखंडता पर दृढ़ रुख बनाए रखना।
- **एकीकृत कमान कार्रवाई:** जातीयता की परवाह किए बिना **तीन समूहों को** लक्ष्य बनाना:
    - हिंसा करने वाले या उसे भड़काने वाले।
    - संघर्ष को धार्मिक रंग देने वाले (धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ करने वाले)।
    - नशीली दवाओं के तस्कर
- **निरस्त्रीकरण:** बिना लाइसेंस वाले हथियार रखने वाले लोगों को एक स्पष्ट समय सीमा के साथ निरस्त्र करना और उल्लंघन के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करना।
- **शांति समितियाँ:** सभी समुदायों और जनजातियों के प्रतिनिधित्व के साथ जिला और राज्य स्तर पर शांति समितियाँ गठित करना।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस: मणिपुर को क्या चाहिए]

POSH अधिनियम राजनीतिक दलों पर लागू होता है

संदर्भ

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम)** को राजनीतिक दलों पर लागू करने के संबंध में एक जनहित याचिका (PIL) को संबोधित किया।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी

- अदालत ने पहले भारत के चुनाव आयोग (ECI) से संपर्क करने का निर्देश दिया क्योंकि वे यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए आंतरिक तंत्र बनाने के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों पर दबाव डालने के लिए सक्षम प्राधिकारी थे, जो कि POSH अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है।

ECI की भूमिका -

- **संविधान का अनुच्छेद 324:** भारत के चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों पर अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है।
- **कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना:** चुनाव के दौरान कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों को परामर्श और दिशानिर्देश जारी करने का अधिकार है।
    - **उदाहरण**: अभियान के दौरान पार्टियों को बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 का अनुपालन करने का निर्देश देना।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** ECI यह सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक दल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुरूप योगदान और लेखापरीक्षित खातों का खुलासा करें।
    - **उदाहरण**: 2013 के केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के फैसले के आधार पर पार्टियों की वित्तीय जानकारी प्रकाशित करना।

CIC निर्णय 2013

2013 में, केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC) ने एक ऐतिहासिक फैसला जारी करते हुए घोषणा की कि **राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण माना जाएगा।**

केरल उच्च न्यायालय (2022) मामला

- **मामला**: संवैधानिक अधिकार अनुसंधान और वकालत केंद्र बनाम केरल राज्य और अन्य।
- **निर्णय**:
    - राजनीतिक दलों में कोई औपचारिक नियोक्ता-कर्मचारी संरचना नहीं होती।
    - पार्टियाँ POSH अधिनियम के तहत परिभाषित कार्यस्थल का गठन नहीं करती हैं।
    - इसलिए, उन्हें ICC स्थापित करने का अधिकार नहीं है।

संरक्षण के लिए मौजूदा नियम या अधिदेश

- **POSH अधिनियम, 2013**:
    - **उद्देश्य**: कार्यस्थलों (सार्वजनिक और निजी) पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाना।
    - **आवश्यकता:** कार्यस्थलों पर **आंतरिक शिकायत समिति (ICC)** का गठन अनिवार्य है।
    - **कार्यस्थल की परिभाषा**:
        - सार्वजनिक क्षेत्र के निकाय
        - निजी क्षेत्र की कंपनियाँ

    - अस्पताल, नर्सिंग होम, खेल स्थल
    - रोजगार के दौरान कर्मचारियों द्वारा दौरा किये गए स्थान
- **आंतरिक अनुशासनात्मक तंत्र**
    - **भाजपा संविधान:** इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई समितियों के प्रावधान हैं।
        - इसमें "पार्टी की प्रतिष्ठा को कम करने" जैसे अनुशासन के उल्लंघन की सूची दी गई है।
    - **कांग्रेस संविधान**: उच्च समितियों को "नैतिक अधमता" से जुड़े अपराधों के लिए निचली समितियों को अनुशासित करने की अनुमति देता है।

इससे जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

- **पार्टी के आंतरिक मामलों पर अस्पष्ट अधिकार:** चुनाव आयोग की शक्तियाँ मुख्य रूप से चुनावों से संबंधित हैं। पार्टियों के भीतर आंतरिक शासन को लागू करने में इसकी भूमिका, जैसे यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए तंत्र बनाना, अस्पष्ट और सीमित है।
- **कार्यस्थल परिभाषा:** POSH अधिनियम कार्यस्थलों पर लागू होता है, लेकिन राजनीतिक दलों में पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संरचना का अभाव है।
- **प्रवर्तन तंत्र का अभाव:** ECI परामर्श जारी कर सकता है, लेकिन उसके पास राजनीतिक दलों के भीतर POSH अधिनियम जैसे कानूनों के अनुपालन को लागू करने के लिए दंडात्मक शक्तियां नहीं हैं।
- **राजनीतिक दलों का प्रतिरोध:** पार्टियाँ अक्सर आंतरिक मामलों में बाह्य विनियमन का विरोध करती हैं, जैसा कि CIC के निर्णय के बावजूद आरटीआई अधिनियम के अनुपालन न करने में देखा गया है।
- **पार्टी कार्यकर्ताओं का क्षेत्रीय कार्यकलाप:** राजनीतिक दल अक्सर अस्थायी रूप से और विकेन्द्रित स्थानों पर कार्यकर्ताओं को नियुक्त करते हैं, जिससे POSH अधिनियम प्रवर्तन के लिए "कार्यस्थल" और "नियोक्ता" की पहचान करना जटिल हो जाता है।

आगे की राह

- **आंतरिक शिकायत समितियों (ICC) का गठन:** राजनीतिक दलों को यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए आंतरिक शिकायत समितियों (ICC) की स्थापना के लिए प्रोत्साहित या अधिकृत किया जाना चाहिए ।
    - इन समितियों का गठन POSH अधिनियम के अनुरूप किया जाना चाहिए, तथा निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इनमें महिलाएं और बाहरी सदस्य भी शामिल किए जाने चाहिए।
- **"कार्यस्थल" की औपचारिक परिभाषा**: राजनीतिक दलों के संदर्भ में "कार्यस्थल" की परिभाषा पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, तथा उनके परिचालन की गतिशील एवं विविध प्रकृति को ध्यान में रखना चाहिए।
- **नियोक्ता-कर्मचारी संबंध पर स्पष्टता**: एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता है जो राजनीतिक दलों के भीतर "नियोक्ता" की अवधारणा को स्पष्ट करे।
- **कार्यान्वयन के लिए ECI के साथ सहयोग**: भारत के चुनाव आयोग (ECI) को राजनीतिक दलों के कामकाज की देखरेख में अपनी भूमिका को देखते हुए, पार्टियों के साथ सहयोग करके ऐसे दिशानिर्देश जारी करने चाहिए जो उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं को POSH अधिनियम के साथ संरेखित करें।

स्रोत: **इंडियन एक्सप्रेस: क्या POSH अधिनियम राजनीतिक दलों पर लागू हो सकता है?**